

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2017 सत्र
दैनिक कार्य सूची
मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2017 (आषाढ 27, 1939)
समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखेंगे -

- (1) मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017),
- (2) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017),
- (3) मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017), तथा
- (4) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017).

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-2015 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखेंगे.

(2) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक) पटल पर रखेंगी.

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) के तहत बनाये गये नियम, 2008 की धारा 22 एवं 23 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

4. फरवरी-मार्च, 2017 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267 - क के अधीन फरवरी-मार्च, 2017 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, इंदौर के एम.वाय. अस्पताल में मरीजों की मौत होने की ओर राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य, नागदा शहर स्थित उद्योगों में स्थाई श्रमिकों से कार्य न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका की घोषणा.

9. राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास का वक्तव्य.

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास, दिनांक 24 मार्च, 2017 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्रमांक 5453) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य देंगे.

10. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन.

श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

“यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो”.

11. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन.

श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

“यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो”.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 17 जुलाई, 2017

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.